



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 775) पटना, बुधवार, 15 जुलाई 2026

उच्च शिक्षा विभाग

अधिसूचना

6 जुलाई 2026

सं० 15/एम 1-21/2020-963—बिहार राज्यान्तर्गत पटना जिले के पालीगंज में निजी क्षेत्र में हिमालय विश्वविद्यालय, पालीगंज, पटना की स्थापना हेतु हिमालय एजुकेशनल ट्रस्ट, दुसाधी पकड़ी, लोहियानगर, कंकडबाग, पटना-800020 से प्राप्त प्रस्ताव/ परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 780 दिनांक 17.03.2021 द्वारा राज्य सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किया गया है। आशय पत्र में निहित शर्तों के अनुपालन की सम्यक् जाँचोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 के तहत हिमालय एजुकेशनल ट्रस्ट, दुसाधी पकड़ी, लोहियानगर, कंकडबाग, पटना-800020 को बिहार राज्यान्तर्गत पटना जिले के पालीगंज में निजी क्षेत्र में हिमालय विश्वविद्यालय, पालीगंज, पटना के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं इसके कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह विश्वविद्यालय “हिमालय विश्वविद्यालय, पालीगंज, पटना” के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय पूर्णतः स्ववित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

यह विश्वविद्यालय बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 (यथा अद्यतन संशोधित) में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए संचालित होगा एवं इस संदर्भ में कोई विसंगति प्राप्त होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के संचालन की अनुमति वापस ले ली जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिशिर कुमार मिश्र,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 775-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>